Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar Raipur – 492001 (C.G.)
Ph.0771-4073568, Fax 4073553
Website *www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in*

NOTICE FOR PUBLIC HEARING ON RETAIL ELECTRICITY TARIFF OF BHILAI TOWNSHIP AREA

M/s Bhilai Steel Plant-Town Electrical & Engineering Department (BSP-TEED), a distribution licensee in its area of operations in Bhilai, was required to file a petition for approval of true-up of previous years, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the Control Period from FY 2022-23 to FY 2024-25 and determination of retail tariff for FY 2022-23 by 30th November 2021 under Sections 86 (1) (a) and 62 of Electricity Act, 2003 read with CSERC (Terms and Conditions of determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principle and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and charges) Regulations, 2021.

2. Above petition is available on the Commission's website. Public notice inviting suggestions/objections/etc. from consumers and other interested persons were published in various local newspapers on the above petition. The Commission has decided to hold a public hearing on the above petition at the Commission office in Raipur on 26/04/2022 at 11:30 a.m.

3. Above hearing may be attended in-person or through video conferencing (VC). Persons who wish to participate in the hearing through VC should send their e-mail address and phone number to cserc.lawsection@gmail.com before the hearing date. The persons who participated in the hearing through VC should submit their written suggestions/comments to the Secretary within 3 days of hearing at an email id: cserc.sec.cg@nic.in.

Secretary

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्र. 0771–4073568 फैक्स 4073553
वेबसाईट *www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in*

भिलाई स्टील प्लान्ट टाउनशिप एरिया हेतु खुदरा विद्युत दर पर जन–सुनवाई हेतु सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहु–वर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें और टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के अनुपालन में बीएसपी–टीईईडी को वर्ष 2022–23 हेतु खुदरा दर के निर्धारण हेतु 30 नवम्बर, 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया जाना था। इसलिए आयोग द्वारा बीएसपी–टीईईडी को नियंत्रण अवधि वर्ष 2022–23 से वर्ष 2024–25 तक के वार्षिक राजस्व आवश्यकता पिछले वर्ष के ट्रू–अप एवं वर्ष 2022–23 के द्वारा दर निर्धारण हेतु याचिका दायर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु बीएसपी–टीईईडी द्वारा नियत समय में याचिका दायर किये जाने में असमर्थता व्यक्त किया गया। अतः आयोग द्वारा वर्ष 2022–23 में खुदरा दर निर्धारण हेतु स्वप्रेरणा से याचिका क्रमांक 12/2022 पंजीकृत किया गया।

2. उक्त याचिका आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु याचिका के सार को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। आयोग द्वारा उक्त याचिका पर आयोग कार्यालय में दिनांक 26/04/2022 समय प्रातः 11:30 बजे जन–सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अथवा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भाग लिया जा सकता है। वे व्यक्ति जो विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जन–सुनवाई में उपस्थित होना चाहते हैं वे अपना ई–मेल आईडी/मोबाईल नंबर ई–मेल के माध्यम से, आयोग के विधि विभाग के ई–मेल आईडी cserc.lawsection@gmail.com पर जन–सुनवाई की दिनांक से पूर्व उपलब्ध करावें। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन–सुनवाई में भाग लिया है वे भी अपने आपत्ति/सुझाव सुनवाई उपरान्त 3 दिवस के भीतर सचिव के ई–मेल आई डी cserc.sec.cg@nic.in पर उपलब्ध करावें।

lfpo